न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

वीणा देवी व अन्य
बनाम
श्रवण कुमार झा व अन्य

भू० वि० वाद सं० 27/12-13

आदेश

12.9.12 यह वाद वीणा देवी पति श्रवण कुमार झा उर्फ सोहन झा ग्राम मधुबन थाना बहेड़ा जिला दरभंगा द्वारा श्रवण कुमार झा उर्फ सोहन झा पे० सदानन्द झा उर्फ फेकू झा सा० मधुबन वो अन्य 6 कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के तहत विभिन्न प्रावधानुसार दाखिल परिवाद के आलोक में आरंभ की गई।

वादिनी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित है कि श्रवण कुमार झा (OP-1) ने वर्ष 1995 में वादिनी सं०1 के साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया जिसके फलस्वरूप नितिश कुमार (वादी-2) का जन्म हुआ। OP-1 के शादी करने से इंकार करने पर सामाजिक पंचायती हुआ और प्रतिवादी सं०1 को दोषी करार देते हुए विवाह करने की बात कही गई। O.P1 द्वारा इंकार किए जाने के कारण वादिनी के पिता ने बहेड़ा थाना कांड सं० 129/96 अन्तर्गत भा० द० वि० एवं दहेज अधिनियम 3/4 का मुकदमा किया जो बाद में प्रतिवादी 1 आपसी स्वीकार कर लेने की से वर्ष 2004 में O.P1 के साथ वादिनी-1 की शादी हो गई। जिसके कारण 2004 में कांड सं० 129/96 एवं 02/97 में सुलहनामा लगा दिया और उनके पुत्र के साथ ससुराल में रहने लगी। तत्पश्चात प्रतिवादी सं०1 श्रवण कुमार झा वादिनी (1) एवं नितिश कुमार को पैतृक गाँव मधुबन में छोड़कर नौकरी करने नेपाल चले गये तथा वहाँ दूसरी शादी कर वहीं रहने लगे तथा वहाँ की कमाई वादिनी एवं पुत्र नितिश कुमार को गुजर हेतु छोड़ दिए किन्तु प्रतिवादी सं० 2 से 5 तक वादिनी को रहने नहीं देते हैं जिससे वादिनी के पुत्र की पढ़ाई एवं जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न हो रहा है। पुनः वादिनी का कहना है कि उनके पति (O.P.1) प्रतिवादी सं० 2 से 5 [illegible]

के मेल में काफी वजन [illegible] कार और उनके के नमीन [illegible]

नुमायानी करते हैं । वादिनी ने पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए पारिवारिक न्यायालय वाद सं०-1 में बटवारे की मांग की तो वादिनी को प्रतिवादीगणों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना किये जिसके विरुद्ध वादिनी द्वारा एक मुकदमा महिला थाना काण्ड सं० 08/2012 अन्तर्गत धारा 498(ए) 34 भा०द०वि० दिनांक 8.2.12 दायर की । इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वाद सं०-1 में उल्लेखित तकरारी भूमि में वादिनी एवं उसके पुत्र का स्वामित्व देते हुए प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा जमीन बिक्री हेतु प्रतिबंधित [illegible] करने एवं O.P 1 द्वारा दिनांक 28.12.11 एवं 6.12.2008 को बेचे गए विक्रीपत्र को शून्य घोषित करने का अनुरोध की गई है।

प्रतिवादी सं० 3 व 4 के तरफ से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 30.7.12 में उल्लेखित है कि O-P(1) की पहली पत्नी नीलम देवी है जो जीवित है। इसलिए हिन्दु विवाह अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी कहलाने का अधिकार वीणा देवी को नहीं है। यह भी उल्लेखित है कि जीवछ महतो को एक लड़का -परमेश्वर महतो एवं तीन लड़कियाँ सोनियादेवी, सुदामा देवी एवं सुमन देवी है। जीवछ महतो की तीनों पुत्रियों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जीवछ महतो को कुल जमीन मात्र 8 बीघा 1 कठा 8 धुर है जो कागजी बटवारा में सभी को 2 बीघा 7 धुर [illegible] हिस्सा मिला एवं सभी हिस्से को मालिकाना दखलकार काबिज है। जमीन हिस्सा मिला एवं सभी हिस्से को [illegible] वादिनी द्वारा जीवछ महतो द्वारा 9 बीघा भूमि खरीद होने की बात बताई है जो गलत है। प्रत्युत्तर कंडिका 14 में यह भी उल्लेखित है कि OP-1 [illegible] कुमार महतो को पुश्तैनी जमीन में सिर्फ 1 कठा 8 धुर जमीन हिस्सा होता है जिसे [illegible] कुमार महतो ने हिस्सा से अधिक भूमि का बिक्री कर दिया है। यह भी उल्लेखित है कि वादिनी ने अपने अनुतोष में उनको कितना हिस्सा चाहिए, उसका उल्लेख नहीं है और इस आधार पर भी यह वाद अधूरा एवं खारिज के लायक है। यह वाद [illegible] अधिनियम के दफा नं० 4 (ई) से भी वाधित [illegible] सुनी गई।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का [illegible] सुना गया एवं उनके द्वारा वादपत्र के समर्थन में list of documents द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य यथा T.R.No 91/04 [illegible] परमेश्वर महतो

MR NO 02/99 में मुकदमा आदेश की छायाप्रति, आयुक्त एवं लेखपाल
ग्रामीण को दी गई आवेदन एवं आपत्ति हेतु कार्यवाही की छाया प्रति,
महिला थाना लखीसराय का प्राथमिकी U/S 498(A) दिनांक 8-2-12,
लखीसराय केवाला की छायाप्रति, वादिनी व उनके पुत्र का आवेदन
एवं प्रेषण प्रकाश पत्र की छाया प्रति का अवलोकन किया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस वाद पत्र की बनावट, प्रारूप एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे मानकर इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का अधिकथन सुनने एवं उपलब्ध कागजातों/साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी प्रतिपक्षी 1 की पत्नी है जिनकी पुष्टि TR NO 91/04 में हुई मुकदमा आदेश से होती है जिसमें प्रतिवादीगण वादिनी को पत्नी एवं नीतीश कुमार को उनका पुत्र स्वीकार किया था। वादिनी को अपने पति एवं ससुर की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार Hindu Succession Act 1956 से ही परिभाषित एवं निर्धारित हो सकता है। प्रतिवादीगण प्रतिपक्षी (1) की पत्नी किरण देवी के होने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य स्थापित नहीं कर सके। अतः यह वाद पारिवारिक न्यायालय एवं दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादिनी अधिकार एवं [illegible] हिस्सा परिभाषित एवं प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में ही वाद दायर करना चाहिए।

अतः इस वाद की प्रकृति को [illegible] इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे मानकर इस वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित व संशोधित।

भू० सु० उप-समाहर्ता
बेतिया

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेतिया